

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : ०६ वर्ष 2025

दिनांक : 27.05.2025

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से पूर्व अनुमति एवं विचार-विमर्श के उपरान्त दाण्डिक न्याय प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली एवं सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेशों को संशोधित करते हुए क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अग्रिम अन्यथा आदेश तक निम्नवत व्यवस्था की जाती है—

1. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा—

- (i) पुलिस थाना चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।
- (ii) पुलिस थाना चमोली व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।
- (iii) ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

2. न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा—

- (i) पुलिस थाना गोपेश्वर, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।
- (ii) पुलिस थाना गोपेश्वर, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।

(iii) समय-समय पर अंतरण से प्राप्त होने वाले वाद।

3. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/ जाँच/ विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा-

- (i) पुलिस थाना पुलिस थाना नन्दानगर व सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त परिवाद पर संस्थित मामले।
- (ii) पुलिस थाना नन्दानगर, सम्बन्धित राजस्व पुलिस क्षेत्र के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवाद/प्रार्थना पत्र।

(iii) समय-समय पर अंतरण से प्राप्त होने वाले वाद।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(छवि बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 30/ /2025, गोपेश्वर : दिनांक : मई 27, 2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
- 3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
- 4. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
- 5. अध्यक्ष, जिला बार संघ, चमोली-गोपेश्वर।
- ✓ 6. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
- 7. गार्ड फाईल।

Chhavi
27/05/25
(छवि बंसल)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।